न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 42/2012 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– ओम प्रकाश पालीवाल पुत्र श्री दलाराम पालीवाल निवासी सांखला बस्ती तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

स्टेट ऑफ राजस्थान।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश पालीवाल — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 21.08.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के आदेश दिनांक 11.05.2012, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने स्वर्गीय पिता श्री दलाराम पालीवाल के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 216/81 एसडीएम (एस) बीकानेर पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर सीआईडी(एटीसी) जयपुर तथा तहसीलदार, कोलायत से रिपोर्ट ली गई। अपीलांट को चार बिन्दुओं पर सात दिवस में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने पत्र क्रमांक 1138 दिनांक 24.2.12 दिया। अपीलांट ने निश्चित समयावधि में नोटिस का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया, जिसको आधार मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2012 से निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी । अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी । अभिभाषक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट ने बहस में अवगत कराया अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को विलम्ब से हुई है, जिसके समर्थन में मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट वास्ते समाअत अदालतवाला अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री ओम प्रकाश पालीवाल का वरवक्त बहस मुख्य कथन था कि पुलिस अधीक्षक, बीकानेर, सी.आई.डी. विभाग, जयपुर, तहसीलदार, कोलायत ने अपनी रिपोर्ट में अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की है। जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा अपीलांट को दिया गया नोटिस पत्र दिनांक 24.2.2012 का प्रत्युत्तर निर्णय से लगभग एक माह पूर्व ही कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया था। इसके बावजूद या तो लिपिक द्वारा अपीलांट का नोटिस प्रत्युत्तर पत्रावली में शामिल नहीं करने या पत्रावली का निरीक्षण किये बगैर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। अपीलांट अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् उनके नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को विरासतन अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवा कर दर्ज करवाना चाहता है। अपीलांट कृषक है। आत्म रक्षार्थ शस्त्र की अत्यावश्यकता रहती है। मातहत अदालतवाला का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून उसूल एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये एकतरफा तौर पर पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने पिता का शस्त्र अनुज्ञा पत्र अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जा रहा है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। अपीलांट लाईसेंस क्यों ले रहा है, उसे कौनसा खतरा है ? यह अपीलांट साबित करने में नाकाम रहा है। अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया गया है। परन्तु निश्चित समयावधि में अपीलांट ने नोटिस का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया। इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय पुलिस की रिपोर्ट का व्यापक अध्ययन नहीं किया है। पुलिस की समस्त रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। बल्कि जिला

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पुलिस अधीक्षक, बीकानेर के पत्र क्रमांक 624 दिनांक 29.7.08 में अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित है, व्यक्त किया है, जो अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड पर उपलब्ध है। पुलिस रिपोर्ट में अपीलांट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया जाता है। अपीलांट अपनी खेती व पशुधन की सुरक्षा के मध्यनजर मृतक प्रकरण में अपने पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर, तहसीलदार, कोलायत की रिपोर्ट, सीआईडी (सीबी) आदि रिपोर्ट को भी अपीलांट के पक्ष में होना बताया है, जो अधिनस्थ के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट भी है। अपीलांट का कोई आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है।

7. विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने मुख्य रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिये दिये नोटिस का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करने का अपीलाधीन आदेश में आधार लिया गया है, जो उचित नहीं है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं0 20 पर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा नाटिस दिनांक 24.2.2012 का जवाब प्रस्तुत किया हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड का पूर्ण रुप से अवलोकन नहीं किया गया है। । पुलिस रिपोर्ट व तहसीलदार की रिपोर्ट अपीलांट के पक्ष में है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2012 निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

9. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।आदेश आज दिनांक 21.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर